

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 61 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42 OF 2024

IN THE MATTER OF:

MADASIR HASAN & ORS.

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 1, U.P. Pollution Control Board	1-3
2.	ANNEXURE R1/1: Report dated 09.09.2024 by U.P. Pollution Control Board	4-6

THROUGH

DATE: 10.09.2024

PLACE: NEW DELHI



STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,
NEW DELHI-110021
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 607/2024**



IN THE MATTER OF:

MADASIR HASAN & ORS.

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Ajeet Kumar Suman S/o Late Baliram Vimal, aged about 50 years, R/o HIG-1056, Sector-I, Ashiyana, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state as under:


1. That I am Regional Officer of Uttar Pradesh Pollution Control Board, Azamgarh (hereinafter "UPPCB"). I say that I am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorised to swear the present Affidavit.

2. That in compliance with the order dated 01.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the captioned matter, UPPCB had filed a response dated 09.08.2024, stating that a Show Cause Notice dated

AK
Suman

07.08.2024 had been issued for imposition of environmental compensation against the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Azamgarh for not setting up adequate sewage treatment plant facilities for treatment of sewage being discharged in open low lying areas.

3. That pursuant to this, no reply has been received to the Show Cause Notice dated 07.08.2024 issued by UPPCB and the time limit of 15 days for the same has also expired.
4. That further inspections of the site in question, being the low lying area at Village Jalandhari, District Azamgarh, were conducted by officials of the UPPCB on 02.09.2024 and 03.09.2024 and water samples were collected therein. The said samples have been sent to the laboratory at UPPCB Regional Office, Varanasi and the report is awaited.
5. That once the results of the analysis report for the aforementioned water samples is received, UPPCB shall initiate further proceedings as may be appropriate. The analysis report is expected in the next 4-5 days.
6. That therefore, it is prayed that this Hon'ble Tribunal may grant 2 weeks' time to the answering respondent to file a final response in this regard.



AK
Suman


7. That the above response of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

AK Suman
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at ^{NOTARY} Lucknow on this ^{NOTARY} 10th day of September, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

AK Suman
DEPONENT



Sworn and Verified before me
[Signature]
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 109/218

I know & identify the deponent/Executant who has signed/put his L.S. before me
[Signature]
S.J. Jyoti Advocate
Reg. No. 6043/1999
Adv LCO

तार पर्यावरण
Gram : Paryavaran

क्षेत्रीय कार्यालय

“ प्रदूषण रोकिए पर्यावरण बचाईए ”
फोन - (05462)-247517
फैक्स - (05462)-247517



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आजमगढ़

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD-AZAMGARH

(Azamgarh, Ballia, Mau)

संदर्भ सं० 501/ओ०एन०-42/2024/2024-25
Ref. No.

दिनांक :
Date : 09-9-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-8)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित एम.नं.-61/2024 (ओ०एन०-42/2024)
मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के
सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-एच.15384/सी-6/सा०-861ओ०एन० नं०-42/
2024/2024 दिनांक 09.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत
कराना है कि स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.09.2024 एवं 03.09.2024 को किया
गया। निरीक्षण के समय जल का नमूना एकत्रित किया गया। एकत्रित जल नमूने को विश्लेषण हेतु
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की प्रयोगशाला में भेजा गया है। जल नमूना विश्लेषण आख्या प्राप्त होने के
उपरान्त कारण बताओ नोटिस की अग्रिम कार्यवाही आपेक्षित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

AJEET Digitally signed
by AJEET
KUMAR
SUMAN
Date: 2024.09.09
18:42:05 +05'30'
(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य विधि अधिकारी (प्रथम), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

AK
Suman

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर मऊ रोड, आजमगढ़ - 276001, www.uppcb.com, E-mail- roazamgarh@uppcb.com

मुख्यालय : टी.सी. 12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 # दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831

फैक्स : 0522-2720764 # ई-मेल : info@uppcb.com # वेबसाइट : www.uppcb.com

मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा एम.ए. नं0-61/2024 ओरीजनल एप्लीकेशन नं0-42/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के क्रम में आख्या।

बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच 15384/सी-6/सा0-861/ओ0ए0-42/2024/आजम0/2024 दिनांक 07.08.2024 के तत्क्रम में दिनांक 02.09.2024 एवं 03.09.2024 को अद्यतन निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है-


1. ग्राम/मुहल्ला-जालन्धरी की आबादी के मध्य एक गड़ही स्थित है। राजस्व विभाग के अनुसार गड़ही का गाटा सं0-355, क्षेत्रफल कुल 212 एयर है। जालन्धरी के निवासियों के घर से निकले वाला घरेलू उत्प्रवाह गड़ही में जाता है।
2. श्री मुदस्सर हुसैन, ग्राम/मुहल्ला-जालन्धरी, जनपद-आजमगढ़ द्वारा की गयी शिकायत में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लिकेशन नं0-42/2024 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.03.2024 को पारित आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ के पत्र सं0-5590/ओ0एस0डी0-66/2024 दिनांक 15.03.2024 तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आजमगढ़ के पत्र सं0-20/एल0बी0सी0 दिनांक 15.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 16.03.2024 को स्थल का निरीक्षण गठित कमेटी द्वारा किया गया।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ द्वारा पत्र सं0-74/एल0बी0सी0 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा यू0पी0पी0सी0बी0 के अधिकारियों से अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। इस कार्यालय द्वारा पत्र सं0-69/ओ0ए0 नं0-42/2024/2024-25 दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ को अभिमत प्रेषित किया गया।
4. मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित एम.नं.-61/2024 (ओ0ए0नं0-42/2024) मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के उक्त आदेश के क्रम में जालन्धरी गड़ही आजमगढ़ का निरीक्षण दिनांक 05.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय बायोरेमिडेशन का कार्य बन्द पाया गया तथा अशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीधे गड़ही में होता पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये जल नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्र) अधिनियम 1974 की धारा-24 का उल्लंघन दर्शाता है।
5. बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच 15384/सी-6/सा0-861/ओ0ए0-42/2024/आजम0/2024 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को पयावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, उक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के अभिलेखानुसार कोई भी उत्तर नगर पालिका परिषद द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।
6. बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच 15384/सी-6/सा0-861/ओ0ए0-42/2024/आजम0/2024 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को पयावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त ग्राम/मुहल्ला-जालन्धरी स्थित गड़ही का निरीक्षण दिनांक 02.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

[Handwritten Signature]
3/9/2024
LA

[Handwritten Signature]
Aman

- दिनांक 02.09.2024 को किये गये निरीक्षण के समय नाली बन्द होने के पश्चात् रिसाव के कारण पानी गड़ही में जाता पाया गया तथा गड़ही का जल नमूना एवं नाली पर हो रहे बायोरेमिडिएशन से पूर्व का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा किया गया। नगर पालिका से वार्तानुसार उनके द्वारा दिनांक 02.09.2024 को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 02.09.2024 को सायं काल के पश्चात नाली को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया।
 - उक्त के अनुक्रम में पुनः दिनांक 03.09.2024 को मुहल्ला जालन्धरी स्थित गड़ही का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नाली पूर्ण रूप से बन्द पायी गयी। गड़ही का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा किया गया।
7. जल नमूना विश्लेषण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक


AK
Suman